राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अवमानना संख्या–10 / 2016
(पुनर्विलोकन अपील संख्या :–5001 / 2015)

मुरलीधर गौड

–अपीलार्थी / प्रार्थी

बनाम

1. श्री दीपक उप्रेती, शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. श्री मनोज भट्ट, पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, जयपुर।

–अप्रार्थीगण / प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक	:	20.09.2016
विनिश्चय की दिनांक	:	21.11.2023

उपस्थित :

प्रार्थी की ओर से	:	अनुपस्थित।
अप्रार्थीगण की ओर से	:	श्री राजेन्द्र दाधीच, राजकीय अभिभाषक।

समक्ष :– चेतन राम देवडा, सदस्य
असलम मेहर, सदस्य

आदेश

1. प्रार्थी / अपीलार्थी ने यह अवमानना याचिका इस अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थीगण / अप्रार्थीगण के विरूद्ध पुनर्विलोकन याचिका संख्या 5001 / 2015 (अपील संख्या 322 / 2011) में पारित आदेश दिनांक 31.05.2016 की पालना नहीं करने व अधिकरण के आदेश की जानबूझ कर अवमानना करना बताते हुए दिनांक 20.09.2016 को इस अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत की है। अधिकरण द्वारा दिनांक 31.05.2016 को निम्नांकित आदेश पारित किया गया था :–

> *''दोनों पक्षकारों की बहस सुनी गई जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पक्षों ने तथ्यों को पेश करने में त्रुटि की थी और इस त्रुटि के कारण एक ऐसा आदेश जारी हुआ जिसकी पालना संभव नहीं है! राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरूद्ध अपील में पारित आदेश दिनांक 02.11.1999 को दृष्टिगत रखते हुए अब यह निर्देश दिये जाते है कि विभागीय पदोन्नति समिति 02.11.1999 के आदेश को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी अपीलार्थी की पदोन्नति पर वर्ष 2004–05 के लिये विचार करें और यदि इस वर्ष में प्रार्थी / अपीलार्थी का चयन नहीं किया जाता है तो वर्ष 2005–06 में उसके नाम पर विचार करें। किसी कारण यदि उन दोनों वर्षो में भी अप्रार्थी–अपीलार्थी को पदोन्नति योग्य नहीं पाया जाता है तो वर्ष 2006–07 की रिक्तियों के विरूद्ध लिफाफे में बन्द पदोन्नति समिति की अभिशंषा को खोलकर तद्नुसार आदेश पारित किया जाये।*

राज्य सरकार के विभाग द्वारा की गई लापरवाही के कारण प्रार्थी अपीलार्थी पदोन्नति पाने वंचित रहा हैं। इसलिये जिन अधिकारियों की त्रुटि से इस अधिकरण के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।''

2. *प्रार्थी* द्वारा कहा गया है कि उसने अधिकरण आदेश की पालना हेतु प्रत्यर्थीगण के समक्ष अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। इसके बावजूद अप्रार्थीगण ने अधिकरण आदेश की पालना जानबूझ कर नहीं किये जाने के कारण अवमानना प्रकरण बनाकर माननीय उच्च न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

3. प्रकरण में प्रत्यर्थीगण को दिनांक 23.11.2016 को जवाब प्रस्तुत करने के नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू डीपीसी दिनांक 23.01.2017 को आयोजित कर अपीलार्थी को वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है और अधिकरण के आदेश की पूर्ण पालना की जा चुकी है। अतः अवमानना याचिका को खारिज करने का निवेदन किया है।

4. हमने विद्वान् अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण को सुना एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात् का अवलोकन एवं अनुशीलन किया। प्रार्थी की तरफ से कोई उपस्थित नहीं।

5. प्रकरण में प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 07.02.2017 द्वारा अपीलार्थी श्री मुरलीधर गौड को रिव्यू डीपीसी आयोजित कर वर्ष 2004–05 की रिक्तियों के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा में वरिष्ठ वेतन श्रृंखला में पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। जिससे स्पष्ट है कि अधिकरण द्वारा जारी आदेश की पालना प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी को पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अवमानना की कार्यवाही Drop की जाती है।

(असलम मेहर)
सदस्य

(चेतन राम देवडा)
सदस्य